न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रापना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 88A/16 GCMS id : 2016/00203

घांसी आत्मज मूला, जाति गूजर, निवासी ग्राम बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटा रेंज, कोटा — (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, वादी अभिभाषक
श्री असलम अंसारी, अभिभाषक प्रतिवादी–2

निर्णय

दिनांक : 26.07.2024

1- वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बावत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 134 की 161 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में से 10 बीघा भूमि एडवाइजरी कमेटी के आदेश दिनांक 30.07.1967 के अनुसार वादी को आवंटित हुई थी।

~ नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 से उक्त आराजी वादी के नाम बहैसियत खातेदार रेवेन्यु रिकार्ड में अमल दरामद हुई। तत्पश्चात उक्त भूमि वादी के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज हुई जिसका उल्लेख जमाबन्दी संवत 2028–2031 एवं संवत 2032–2035 में है।

~ वादी अपने कब्जे काश्त की उक्त आवंटनशुदा भूमि का एकमात्र रिकोर्डेड खातेदार कृषक वर्तमान में है। वादी को आवंटित उक्त भूमि के खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय है।

~ संवत 2038 में हुये सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग ने भूलवश या लापरवाही से रेवेन्यु रिकार्ड में वादी को आवंटित उक्त भूमि वादी के नाम बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद कर उसके नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये। भूमिधारी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भू राजस्व नियमों के अनुसार सेटलमेन्ट को दौराने बन्दोबस्त राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति को ही अक्षरशः दोहराना लाजमी है।

~ इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग ने जानबूझकर या लापरवाही से त्रुटि करते हुये वादी को आवंटित उक्त वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा वाके ग्राम आंवली को सेटलमेन्ट के बाद रेवेन्यु रिकार्ड में सेटलमेन्ट से पूर्व के रेवेन्यु रिकार्ड के अनुसार पुनरावृति कर उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये। इस कारण वर्तमान में, वादी को आवंटित उक्त भूमि का न तो रेवेन्यु रिकार्ड में ही उल्लेख है और ना ही वादी को आवंटित उक्त भूमि का मिलान क्षैत्रफल ही उपलब्ध है।

~ वादी ने प्रथमतः दिनांक 22.12.2006 को धारा 80 सीपीसी के तहत आवश्यक एक नोटिस प्रतिवादी को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति हो जाने के बावजूद प्रतिवादी ने कोई सुनवाई नहीं करने पर दिनांक 24.01.2007 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। फलतः दावा वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से अवधि मध्य पेश है।

~ वादी को आवंटित भूमि पर सन् 1967 से आज तक वादी का ही कब्जा चला आ रहा है लेकिन सेटलमेन्ट द्वारा की गई उक्त त्रुटि की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.12.2006 को हल्का पटवारी से उक्त भूमि की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की नकल बनाकर देने हेतु कहने पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त त्रुटि बाबत बताने पर दिनांक 21.02.2006 को हुई।

~ अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम आंवली के नये खसरा नम्बर कायम किये जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व के रिकार्ड के अनुसार वादी को उक्त भूमि का रेवेन्यु रिकार्ड में बहैसियत खातेदार कृषक

अमल दरामद किया जावे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न करने की निषेधाज्ञा भी पारित की जावे।

~ वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम आंवली की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत 2061–2064
प्रदर्श–2 धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति मय प्राप्ति कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा
प्रदर्श–3 धारा 80 सीपीसी के नोटिस की प्रति मय प्राप्ति कार्या. तहसीलदार, लाडपुरा,कोटा
प्रदर्श–4 नकल नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970
प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 2028–2031, खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा
प्रदर्श–7 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श–8 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श–9 नकल नक्शा संवत 2012–2013, सन् 1955–1956
प्रदर्श–11 वर्तमान खसरा नम्बरान का नकल नक्शा सन् 1977–78
प्रदर्श–12 गत खसरा नम्बरान का नकल नक्शा सन् 1977–78
प्रदर्श–13 गत खसरा नम्बरान का नकल नक्शा वर्ष 2013

3- प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

≈ जमाबन्दी संवत 2032–2035 ग्राम आंवली के खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा घांसी पुत्र मूला कौम गूजर दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 41 की प्रति संलग्न है।
≈ भू–प्रबन्ध द्वारा खसरा नम्बर 134/6 का नया नम्बर नहीं बनाया गया है।
≈ प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.95 हैक्टर पर काबिज है एवं खसरा नम्बर 162 रकबा 12 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 31.30 हैक्टर वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है।

4- दौराने वाद, प्रकरण में निम्नांकित तनकीहात कायम किये गये :–

(1) आया विवादित आराजी दिनांक 30.07.1967 को वादी को आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 41 से दिनांक 21.03.1970 को वादी की खातेदारी में रिकार्ड में अमल दरामद हुई। – (वादी)
(2) आया बन्दाबस्त (सेटलमेन्ट) के दौरान विवादित आराजी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये नम्बर कायम कर रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया। – (वादी)
(3) आया वादी विवादित भूमि को अपनी खातेदारी में रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। – (वादी)
(4) आया मौके पर विवादित भूमि पर वादी काबिज काश्त है। – (वादी)
(5) आया भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है, अतः न्यायालय का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार नहीं है। – (प्रतिवादी)
(6) अनुतोष ?

5- *प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई –*

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 134 की 161 बीघा 19 बिस्वा में से खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा भूमि एडवाइजरी कमेटी के आदेश दिनांक 30.07.1967 से वादी को आवंटित की गई थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 से उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज करने के आदेश हुये। उक्त भूमि वादी के नाम रेवेन्यु रिकार्ड में बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज होने का उल्लेख जमाबन्दी संवत 2028–2031 एवं 2032–2035 में भी है। वादी वर्तमान में भी अपने कब्जे काश्त की उक्त आवंटनशुदा भूमि पर काबिज है। संवत 2038 में हुये सेटलमेन्ट के दौरान रेवेन्यू रिकार्ड में वादी को आवंटित उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये। भू राजस्व नियमों के अनुसार सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति को ही दोहराना होता है तथा पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। वादी को आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये जाने के कारण आवंटित भूमि का न तो रेवेन्यु रिकार्ड में ही उल्लेख है और ना ही वादी को आवंटित उक्त भूमि का मिलान क्षैत्रफल ही उपलब्ध है जबकि वादी को आवंटित उक्त भूमि पर 1967 से वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम आंवली के नये खसरा नम्बर कायम किये जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व के रिकार्ड के अनुसार वादी को उक्त भूमि का बहैसियत खातेदार कृषक अमल दरामद किया जावे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न करने की निषेधाज्ञा पारित की जावे।

Ghansi.Sarkar-VanVibhag

प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) *आया विवादित आराजी दिनांक 30.07.1967 को वादी को आवंटित होकर नामान्तरकरण संख्या 41 से दिनांक 21.03.1970 को वादी खातेदारी में रिकार्ड अमल दरामद हुई।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 21.03.2070 की प्रति (प्रदर्श–4) पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम–11 में कृषक का नाम घांसी पुत्र मूला तथा कॉलम–12 में खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा दर्ज है। इसी नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में अलॉटमेन्ट दिनांक 30.07.1967 अंकित है।
- वादी द्वारा नकल जमाबन्दी संवत 2028–2031 (प्रदर्श–5) एवं जमाबन्दी संवत 2032–2035 (प्रदर्श–6) भी पेश की गई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा आराजी वादी घांसी पुत्र मूल गुजर के खाते दर्ज है।
- इस प्रकार तनकी में अंकित कथनों की वादी की ओर से पेश नामान्तरकरण व नकल जमाबन्दियों (प्रदर्श–4, 5 व 6) से पुष्टि होने के फलस्रूवरूप यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(2) *आया बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) के दौरान विवादित आराजी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये नम्बर कायम कर रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में नकल मिलान क्षेपत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–7 व 8) पेश किया गया है।
- मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत 2028–2031 एवं 2032–2035, आवंटन से ग्राम आवंली के खसरा नम्बर 134/6 रकबा 10 बीघा वादी के खाते दर्ज थी।
- मिलान क्षैत्रफल (प्रदर्श–7 व 8) के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौराने सेटलमेन्ट गत खसरा नम्बर 134/5, 134/4, 134/5, 134/1, 134, 134/4, 134/10, 134/12, 134/13, 134/2,3 से नये खसरा नम्बर क्रमशः 208, 209, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 226, 227 कायम किये गये है। तथा
- गत खसरा नम्बर 134/6 से कोई नया खसरा नम्बर नहीं बनाया गया है। नया नम्बर नहीं बनाये जाने के कथन की पुष्टि प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावे से भी होती है। रिकार्ड में अमल दरामद होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में प्रतिवादी के जवाब में भी कोई कारण उल्लेखित नहीं है।
- अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(3) *आया वादी विवादित भूमि को अपनी खातेदारी में रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा स्वयं को विवादित आराजी, अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी माना है। यहाँ वादी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 134/6 ही विवादित आराजी होगी। दौराने सेटलमेन्ट उक्त 134/6 के कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया गया।

वादपत्र की प्रार्थना में वादी ने गत खसरा नम्बर 134/6 के नये खसरा नम्बर कायम कर सेटलमेन्ट के पूर्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

- ज्ञातव्य है कि ग्राम आवंली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 161 बीघा में से वादी को 134/6 की 10 बीघा आराजी आवंटित की गई थी।
- मूल खसरा नम्बर 134 के बने अनेक गत खसरा नम्बर 134/5, 134/4, 134/5, 134/1, 134, 134/4, 134/10, 134/12, 134/13, 134/2,3 से नये खसरा नम्बर क्रमशः 208, 209, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 226, 227 कायम किये गये है किन्तु इनमें खसरा नम्बर 134/6 से कोई नया खसरा नम्बर बनाया जाना नहीं पाया गया है। गत खसरा नम्बर 134 के टुकडों से बने नये खसरा नम्बर 208, 209, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 226, 227 अन्य खातेदारान के खाते दर्ज है।
- वादी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 134/6 का कोई नया खसरा नम्बर कायम नहीं किये जाने तथा भूमि उपलब्ध न होने के कारण से वादी को आवंटित आराजी

GhanshSarkar-VanVibhag

का अमल किया जाना संभव नहीं होने से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(4) *आया मौके पर विवादित भूमि पर वादी काबिज काश्त है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी को ग्राम आवंली के खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त खसरा नम्बर 134/6 अथवा इससे बने नये खसरा नम्बर ही विवादित भूमि होगी।
- प्रतिवादी क्रम–1 सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावे में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.95 हैक्टर पर काबिज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर वर्तमान में वन विभाग के खाते दर्ज है।
- ग्राम आवंली के वर्तमान खसरा नम्बर 162, गत खसरा नम्बर 73 मि., 75/1 मि., 76 मि. से तथा वर्तमान खसरा नम्बर 211, गत खसरा नम्बर 75/1, 82/1 से बना है।
- स्पष्ट है कि वादी को गत खसरा नम्बर 134/6 का आवंटन किया गया था तथा वादी वर्तमान खसरा नम्बर 162, 211 पर काबिज है जो वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर से नहीं बने है।
- इस प्रकार वादी, उसको आवंटित विवादित आराजी 134/6 अथवा उससे बने नये खसरा नम्बर पर काबिज नहीं है तथा जहाँ काबिज है वो आराजी वन विभाग के खाते दर्ज है।
- अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(5) *आया भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है, अतः न्यायालय का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।
- प्रतिवादी क्रम–1 सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावे के अनुसार प्रार्थी वर्तमान खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.95 हैक्टर पर काबिज है। उक्त दोनों खसरा नम्बर वन विभाग के खाते दर्ज है।
- चूंकि वादी वर्तमान में जिस आराजी पर काबिज है वो वन विभाग की आराजी है। वन विभाग, राजस्थान की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक प.1(53)वन/2011 दिनांक 29.02.2012 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार किसी भी वन भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग किसी गैर वनीय उद्देश्य के लिये किया जाना प्रतिबन्धित है।
- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (10) के अनुसार भी वन विभाग की आराजी पर खातेदारी अधिकारी प्रदान किया जाना प्रतिबन्धित है।
- स्पष्ट है कि वादी, वर्तमान में वन विभाग की आराजी पर काबिज है तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (10) से वन विभाग की आराजी पर कोई अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी–2 के पक्ष में तय की जाती है।

(6) *अनुतोष* : प्रस्तुत प्रकरण के विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि –

- वादी द्वारा, वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 314/6 रकबा 10 बीघा आराजी के नये खसरा नम्बर कायम नहीं किये जाने के कारण, आवंटित आराजी के नये खसरा नम्बर कायम कर वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
- वादी के वन विभाग की आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.65 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.95 हैक्टर पर काबिज होने के कारण तथा उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वाद वादी खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन तथा प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

☞ द्वितीय सेटलमेन्ट संवत 2038–2057 से पूर्व ग्राम आंवली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 134 का रकबा 161 बीघा दर्ज था। मुताबिक नामान्तरकरण

संख्या 41 दिनांक 21.03.1970 (प्रदर्श–4), एडवाइजरी कमेटी द्वारा उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 134/6 की 10 बीघा आराजी वादी घांसी वल्द मूला को दिनांक 30.07.1967 को आवंटित की गई, जो जमाबन्दी संवत 2028–2031 (प्रदर्श–5) एवं जमाबन्दी संवत 2032–2035 (प्रदर्श–6) में वादी के खाते दर्ज हुई।

- खसरा नम्बर 134 रकबा 161 की कुल आराजी से बने खसरा नम्बर 134/5, 134/4, 134/5, 134/1, 134, 134/4, 134/10, 134/12, 134/13, 134/2,3 से नये खसरा नम्बर क्रमशः 208, 209, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 226, 227 कायम किये गये है।
- प्रतिवादी सरकार जर्ये तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावे के अनुसार वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 134/6 से कोई नया खसरा नम्बर नहीं बनाया गया है तथा वादी आराजी खसरा नम्बर 162 व 211 पर काबिज है, जो वन विभाग के खाते दर्ज है।
- वादी द्वारा उसको आवंटित आराजी खसरा नम्बर 134/6 के नये खसरा नम्बर कायम कर खाते दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
- ज्ञातव्य है कि आराजी खसरा नम्बर 134 का सेटलमेन्ट पूर्व रकबा 161 बीघा दर्ज था। प्रकरण में पेश मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 134 के टुकडों से बने नये खसरा नम्बर 208, 209, 212, 213, 214, 222, 223, 224, 226, 227 का कुल रकबा 28.76 हैक्टर (179 बीघा 15 बिस्वा) के बराबर होता है।
- उपरोक्त बने समस्त नये खसरा नम्बरान खातेदारान व नगर विकास न्यास के खाते दर्ज है। इन्हीं में से एक गत खसरा नम्बर 134/5 से नया खसरा नम्बर 212 रकबा 5.70 हैक्टर कायम किया गया है। इसमें खसरा नम्बर 212/1 की 1.14 हैक्टर तथा 212/2 की 3.42 हैक्टर अन्य खातेदारान के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 212 की 1.14 हैक्टर आराजी वादी घांसी पुत्र मूला के खाते दर्ज है। वर्तमान खसरा नम्बर 212 रकबा 1.14 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज होने के सम्बन्ध में वादी से जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि यह तो वादी को आवंटित अन्य आराजी है।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत किसी भूमिहीन को ही जीवन यापन के लिये भूमि का आवंटन किये जाने का प्रावधान है। किसी एक व्यक्ति को एक बार भूमि का आवंटन हो जाने के बाद वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं रहता है।
- उल्लेखनीय है कि ग्राम अटरू के सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 134 रकबा 161 बीघा के सेटलमेन्ट उपरान्त बने नये खसरा नम्बरान का रकबा 28.76 हैक्टर अर्थात लगभग 179 बीघा होने से यह तो स्पष्ट है कि यद्यपि मिलान क्षेत्रफल में वादी को आवंटित खसरा नम्बर 134/6 का नया खसरा बनना नहीं पाया जाता है किन्तु कुल रकबा गत रकबे के बराबर/अधिक होने की स्थिति में आराजी का कम होना नहीं माना जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान में वादी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 212 की 1.14 हैक्टर आराजी ही उसको आवंटित खसरा नम्बर 134/6 के स्थान पर 134/5 से बनाई गई है।
- गत खसरा नम्बर 134/5 से नया खसरा नम्बर 212 रकबा 5.70 हैक्टर कायम किया गया है। इसमें खसरा नम्बर 212/1 की 1.14 हैक्टर तथा 212/2 की 3.42 हैक्टर अन्य खातेदारान के खाते तथा खसरा नम्बर 212 की 1.14 हैक्टर आराजी वादी घांसी पुत्र मूला के खाते दर्ज है।

अतः खसरा नम्बर 212 की आराजी वादी के खाते दर्ज होने से स्पष्ट है कि वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 134/6 की आराजी के स्थान पर खसरा नम्बर 134/5 से बने नये खसरा नम्बर 212 की आराजी के रूप में आराजी वादी के खाते दर्ज की जा चुकी है तथा वादी के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 162 व 211 वन विभाग की आराजी होने से वह उस पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के कारण वादी अब कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः सम्पूर्ण एवं वास्तविक तथ्यों के बिना ही वादी द्वारा क्लीन हैण्ड दावा पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

8- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

Ghansi Sarkar-Van Vibhag

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

बउनवान :–

घांसी आत्मज मूला, जाति गूजर, निवासी ग्राम बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटा रेंज, कोटा

— (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89,91,92A RTA
मुकदमा नम्बर : 88A / 16
निर्णय दिनांक : 26-07-2024

GCMS id : 2016 / 00203

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर व प्रतिवादी अभिभाषक श्री असलम अंसारी की उपस्थिति में वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनने के वाद आज तारीख 26–07–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी, श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, वादी को आवंटित गत खसरा नम्बर 134/6 की आराजी के स्थान पर खसरा नम्बर 134/5 से बने नये खसरा नम्बर 212 की आराजी के रूप में आराजी वादी के खाते दर्ज की जा चुकी है तथा वादी के कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 162 व 211 वन विभाग की आराजी होने से वह उस पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के कारण वादी अब कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः सम्पूर्ण एवं वास्तविक तथ्यों के बिना ही वादी द्वारा क्लीन हैण्ड दावा पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 26 जुलाई, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

26/7/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		